भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1714
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

राजस्थान में बेरोजगारी

1714. **श्री राहुल कस्वां:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए केंद्र सरकार का वहां युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है और कोविड-19 और अन्य महामारियों के कारण गत दो वर्षों के दौरान लोग रोजगार की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का लोगों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने के लिए कोई योजना चलाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1 जनवरी, 2019 से आज तक राजस्थान सहित देश में निजी कंपनियों द्वारा काम से निकाले गए व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राजस्थान सहित देश में ऐसे बेरोजगार युवाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें रोजगार प्रदान किया है; और

(छ) क्या सरकार का राजस्थान में फर्नीचर उद्योग के माध्यम से रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (छ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत होता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19 के दौरान 5.8% की तुलना में कम होकर वर्ष 2020-21 के दौरान 4.2% हो गई है। राजस्थान में, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19 के दौरान 5.7% की तुलना में कम होकर वर्ष 2020-21 के दौरान 4.7% है।

राजस्थान में, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2018-19 के दौरान 50.0% की तुलना में बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 55.3% हो गया है जो राजस्थान में रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुबंध में है।

सरकार द्वारा, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन नामक दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनसीएस परियोजना, रोजगार की खोज एवं मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों पर जानकारी इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। एनसीएस परियोजना का उद्देश्य रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं तक निर्बाध पहुंच, देश के इच्छुक युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करना और करियर विकास सहायता की सुविधा प्रदान करना है। जनवरी 2023 तक, एनसीएस पोर्टल पर लगभग 2.9 करोड़ नौकरी चाहने वाले पंजीकृत हैं और इनमें से 15.7 लाख राजस्थान से हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 02.12.2022 तक, इस योजना के तहत 4,378 करोड़ रुपए की राशि के 37.68 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से दीर्घ अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1714 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)

क्र.स.	राज्य /केंद्र शासित प्रदेश	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	54.8	55.5	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	40.9	44.3	48.5
3	असम	43.4	43.2	50.5
4	बिहार	36.4	39.7	39.9
5	छत्तीसगढ	61.2	65.4	63.6
6	दिल्ली	44.5	43.3	42.7
7	गोवा	45.9	47.3	43.4
8	गुजरात	49.7	54.7	55.0
9	हरियाणा	41.9	42.9	44.0
10	हिमाचल प्रदेश	63.9	70.5	69.5
11	झारखंड	44.9	53.6	59.6
12	कर्नाटक	49.3	53.1	55.3
13	केरल	44.9	45.3	46.1
14	मध्य प्रदेश	52.3	57.7	60.2
15	महाराष्ट्र	50.6	55.7	53.9
16	मणिपुर	44.3	45.5	41.0
17	मेघालय	61.8	58.6	62.0
18	मिजोरम	45.6	50.7	54.5
19	नागालैंड	38.1	44.8	49.5
20	ओडिशा	47.6	51.9	53.5
21	पंजाब	44.2	47.8	47.2
22	राजस्थान	50.0	55.0	55.3
23	सिक्किम	61.1	68.8	71.3
24	तमिलनाडु	51.4	55.3	56.9
25	तेलंगाना	50.6	55.7	57.8
26	त्रिपुरा	41.9	49.6	53.8
27	उत्तराखंड	44.9	49.5	48.7
28	उत्तर प्रदेश	40.8	45.1	48.0
29	पश्चिम बंगाल	49.7	49.7	53.0
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49.1	49.8	58.2
31	चंडीगढ़	47.3	45.5	43.1
32	दादरा और नगर हवेली	68.6	72.2	54.0
33	दमन और दीव	55.1	64.5	
34	जम्मू और कश्मीर	52.9	52.5	55.5
35	लद्दाख	--	62.7	69.1
36	लक्षद्वीप	29.5	48.0	40.1
37	पुडुचेरी	47.8	47.7	48.1
	अखिल भारत	**47.3**	**50.9**	**52.6**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई